



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/ 1441

दिनांक :- 12/06/24

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय विधि महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।

विषय :- विधि पाठ्यक्रम (एल.एल.बी./बी.ए.एल.एल.बी) हेतु बी.सी.आई. की अनुमति प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, जिन विधि महाविद्यालयों द्वारा बार.काउन्सिल ऑफ इण्डिया(बी.सी.आई.) का सत्र 2023-24/2024-25 तक का अप्रुव्हल पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है, वे महाविद्यालय एक माह में अनिवार्य रूप से बी.सी.आई. का सत्र 2023-24/2024-25 तक का अप्रुव्हल पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के परीक्षा/नामांकन से संबंधित कार्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

आदेशानुसार

Dy. Registrar (Academic)
Vikram University, Ujjain

दिनांक :- 12/06/24

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/ 1442

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
02. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21, राज एकेडमी इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया, बाल भवन के पास, नई दिल्ली।
03. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
04. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।
05. परीक्षा नियंत्रक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, विधि महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों की परीक्षा एवं नामांकन संबंधी कार्य संपादित करने से पूर्व महाविद्यालय से बी.सी.आई. का सत्र 2023-24 तक का अप्रुव्हल पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
06. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, विधि महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों की परीक्षा एवं नामांकन संबंधी कार्य संपादित करने से पूर्व महाविद्यालय से बी.सी.आई. का सत्र 2023-24 तक का अप्रुव्हल पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
07. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
08. माननीय कुलगुरुजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव(अकादमिक)